

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक.....

संख्या-7/शक्ति प्र0-13-06/2015 सा0प्र0.....दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द०प्र०स० 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला दंडाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक-6096/सी० दिनांक 05.12.2016 के साथ संलग्न सूची के परिशिष्ट-क में अंकित कार्मिक।	द०प्र०स० 1973 की धारा-21	07.12.2016 से माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तक	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	अररिया

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/शक्ति प्र0-13-06/2015 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु दो प्रतियों में सी०डी० के साथ प्रेषित।


ह०/

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/शक्ति प्र0-13-06/2015 सा0प्र0. 16298 /पटना-15, दिनांक 6-12-16

प्रतिलिपि-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित कार्मिकों को सूचित कर दें।


सरकार के उप सचिव।